

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2007

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1243/सम्बद्धता/2007, दिनांक 28.09.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित 30प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(?) के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बांसगांव, गोरखपुर, को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान एवं इतिहास विषयों में स्ववित्तपोषित याोजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से कार्य आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
 2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
 3. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा।
 4. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
 5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिर्णयवाली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राक्खानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
- (2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-4017(1)/सत्तर-6-2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बांसगांव, गोरखपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।